International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 7.150, Volume 06, No. 03(I), July - September, 2024, pp. 47-51

विविध कालों में महिलाओं की स्थिति का स्वरूप

डॉ अमिता जैन*

सार

*समाज में महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण वर्तमान परिस्थिति के आधार पर पूर्णरूपेण नहीं किया जा सकता। महिलाएँ प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रही हैं और वर्तमान में महिलाओं ने एक सशक्त नारी की छवि स्थापित की है। भारत में महिलाओं की स्थिति का विहंगावलोकन करने के लिए विभिन्न कालों, जैसे– **वैदिक, मुस्लिम, ब्रिटिश एवं आधुनिक** काल में उनकी स्थिति का अध्ययन करने के उपरान्त ही समाज में महिलाओं की स्थिति का ज्ञान किया जा सकता है। विभिन्न ऐतिहासिक काल क्रमों में महिलाओं की स्थिति भी अलग–अलग प्रकार की रही है। महिलाओं की स्थिति जानने का आधार मुख्य रूप से उनका सामाजिक आदर, शिक्षा व्यवस्था, परिवार में स्थान, लैंगिक भेदभाव का न होना, रूढ़ियों एवं कुप्रथाओं का न होना, आर्थिक संसाधनों पर नियन्त्रण, निर्णय लेने की क्षमता का प्रयोग एवं स्वतन्त्रता आदि में निहित होता है।*

शब्दकोशः *आर्थिक विकास, महिला शिक्षा, लघु उद्योग, नारी शक्ति।*

प्रस्तावना

महिलाओं की आर्थिक भागीदारी के बिना देश की प्रगति, उन्नति एवं समृद्धि संभव नहीं है। सरकार भी महिलाओं को आर्थिक क्षेत्र से जोड़ने हेतु उनका प्रशिक्षण, बाजारों से वस्तुओं का विनिमय, उद्योग खोलने हेतु ऋण उपलब्धता आदि अनेक सहयोग प्रदान किये जा रहे हैं। भारत सरकार ने नारी शक्ति का संवर्धन करने हेतु अनेक उद्यमिता कार्यक्रम संचालित किए हैं। आज अर्थ के अनेक क्षेत्रों में महिलायें सहयोग से अग्रिम भूमिका की ओर बढ़ रही है। काफी महिलाएं शिक्षा के द्वार पर नहीं पहुंच पाई है, उनका आर्थिक विकास छोटे–छोटे लघु उद्योगों से किया जा सकता है। उनके अंदर हुनर है लेकिन हुनर को प्रकट करने का परिवेश नहीं है। हुनर प्रकट करने के कार्यक्रम, मेले, प्रशिक्षण आदि आयोजित करने चाहिए। भारत सरकार, राज्य सरकारें भी इस प्रकार पिछड़ी हुई महिलाओं के विकास को समृद्ध बनाने हेतु कार्यक्रम आयोजित करती है ताकि विकास के कदम में वे भी अपना हाथ बढ़ावें। आर्थिक कारण से वे उद्योग नहीं खोज पाती हैं तो सरकार उनको ऋण उपलब्ध कराती है ताकि वे अपना आर्थिक विकास कर सके। इन महिलाओं को कार्यबल में अग्रसर करना, उनके मन मुताबिक रोजगार दिलाना, समर्थन एवं प्रोत्साहन देना, उत्पाद के क्षेत्र में, अक्षम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना, कृषि के नवाचारों से भी ओतप्रोत कराना, फसल प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा से जागरुक करना आदि कार्य आर्थिक कारण हेतु किये जा रहे है।

वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति

प्राचीनकाल में लगभग 200 ई० पूर्व तक स्त्रियों को समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था और उनकी शिक्षा का प्रबन्ध करना माता–पिता का परम कर्तव्य माना जाता था। बालिकाएं 16 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करती थी। यहाँ स्त्रियाँ कृषि कार्यों तथा युद्ध सम्बन्धी अस्त्रों के निर्माण का कार्य भी करती थीं। वे अपने पतियों के

* सहायक आचार्य, शिक्षा विभाग, जैन विश्व भारती संस्थान, लाडनूं, राजस्थान।

साथ युद्ध में भाग लेती थीं और धनु संचालन तथा अश्व संचालन में भी भाग लेती थीं। स्त्रियों को वेदाध्ययन करने, शास्त्रार्थ करने, पुराणों का अध्ययन करने, धार्मिक एवं सामाजिक कृत्यों में भाग लेने, यज्ञादि कार्यों में भाग लेने की स्वतन्त्रता प्राप्त थी। इस समय की विदुषी स्त्रियों में **इन्द्राणी, मैत्रेयी, गार्गी, लोपामुद्रा** तथा **सर्वराज्ञी** आदि के नाम लिये जा सकते हैं। ऋग्वेद के अनेक ग्रन्थों की रचना महिलाओं के द्वारा ही की गयी थी। जिनमें **सिकता, विश्ववारा, निवावरी, घोषा, रोयशा, लोपामुद्रा, अपाला** तथा **उर्वशी** आदि 20 कवयित्रियों की रचनाओं का उल्लेख प्राप्त होता है।

उत्तर–वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में ह्रास के चिह्न दृष्टिगत होते हैं। **मनुस्मृति** में मनु ने कुछ नियमों का वर्णन किया है, जिसके अनुसार स्त्रियों को वेदाध्ययन का अधिकार प्रदान नहीं किया गया और मन्त्रोच्चारण की कसौटी पर उन्हें अयोग्य बना दिया गया। **मनु** के अनुसार, स्त्रियों को केवल घर के कार्य करने चाहिए तथा पति की सेवा करना उनका धर्म माना गया, जिसे उसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के समकक्ष ठहराया गया। मनु ने अन्य कई नियम बनाये जिनका पालन करना स्त्रियों के लिए अनिवार्य था। विवाह की आयु भी कम की गयी। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को वेदों की शिक्षा की अपेक्षा संगीत, नृत्य, चित्रकला व अन्य ललित कलाओं को सीखने पर अधिक जोर दिया जाने लगा। वास्तव में इस काल में जो विचारधाराएँ थी, वे ही काफी बदले हुए स्वरूप में आज भी कायम है। इस काल की महिलाएँ कम आयु में विवाह के कारण वे शिक्षा से वंचित हो जाती थी। उनमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता भी उत्पन्न नहीं हो पाती थी। वे धन और सुरक्षा के लिए पुरुषों पर आश्रित थी। साधारण समाज में स्त्रियों की बड़ी अवनति हुई, किन्तु उच्च परिवारों में इनकी स्थिति काफी अच्छी थी। इस काल में भी अनेक कवयित्रियां और लेखिकाएँ हुई। **'हाल की गाथा'** में सात कवयित्रियों की रचनाएं संगृहीत है। **शील और भट्टारिका** अपनी सरल, प्रसादयुक्त शैली तथा शब्द और अर्थ के सामंजस्य के लिए प्रसिद्ध थीं। देवी लाट प्रदेश की प्रसिद्ध कवयित्री थी। विदर्भ में विजयका की कीर्ति की समता केवल कालिदास ही कर सकते थे। राजशेखर की पत्नी को काव्य रचना और टीका करने में सिद्धहस्तता प्राप्त थी। कतिपय महिलाओं ने आयुर्वेद पर पाण्डित्यपूर्ण और प्रामाणिक रचनाएँ की हैं, जिनमें 'रूसा' का नाम प्रसिद्ध है। **जैन तथा बौद्ध** धर्मों ने स्त्रियों की शिक्षा का पूर्णरूपेण समर्थन किया और स्त्री–पुरुष की समानता पर बल दिया। स्त्रियों को भी पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। वे भिक्षुणी कहलाती थी तथा मठी तथा विहारों में रहती थी। महावीर तथा बुद्ध ने संघ में नारियों के प्रवेश की अनुमति दे दी थी। ये धर्म और दर्शन के मनन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती थीं। जैन और बौद्ध साहित्य से ज्ञात होता है कि कुछ भिक्षुणियों ने साहित्य तथा शिक्षा के प्रसार में व्यापक योगदान दिया। उनमे सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा का नाम उल्लेखनीय है। जो धर्म के प्रचारार्थ सिंघल जैसे दूर देश भी गयी। बौद्ध आगमों की महान शिक्षिका के रूप में भी इनकी ख्याति थीं। जैन साहित्य से जयन्ती का पता चलता है, जिसने धर्म और दर्शन की ज्ञान–पिपासा की तृप्ति हेतु आजन्म अविवाहित रहने का व्रत लिया और भिक्षुणी हो गयी।

इस प्रकार वैदिक काल के पूर्व भाग में स्त्रियों की सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थिति अत्यन्त सुदृढ़ थी। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आयी, फिर भी उनको अभी भी सम्मान प्राप्त था।

मुस्लिम काल में महिलाओं की स्थिति

मध्य काल मुस्लिम आक्रान्ताओं और उनके शासन का काल रहा है। आठवीं शताब्दी के आरम्भ से ही भारत के अतुलनीय वैभव की ओर आकृष्ट होकर मुस्लिम आक्रमण पर आक्रमण करते रहे और धन–सम्पदा लूटकर अपने साथ ले गये, परन्तु इनका उद्देश्य मात्र लूटमार तक ही सीमित था। ये भारत में शासन स्थापित करना नहीं चाहते थे। 1192 ई० में मुहम्मद गोरी ने दिल्ली के अन्तिम प्रतापी राजा पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली थी। इनके बाद क्रमशः **गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी एवं मुगल वंश** ने शासन किया। लगभग 600 वर्षों तक भारत पर मुसलमानों का आधिपत्य रहा। मध्य काल में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ। **डॉ. एफ. के. ई.** के अनुसार "मुस्लिम शिक्षा एक विदेशी प्रणाली थी,

जिसका भारत में प्रतिरोपण किया गया और जो ब्राह्मणीय शिक्षा से अति अल्प सम्बन्ध रखकर अपनी नवीन भूमि में विकसित हुई।" प्रथम मदरसे की स्थापना मुहम्मद गोरी द्वारा अजमेर में की गयी। बाबर, हुमायूँ, अकबर इत्यादि शिक्षा प्रेमी थे और इन्होंने मदरसे की स्थापना करायी। मुस्लिम काल में पर्दा–प्रथा के कारण स्त्री शिक्षा प्रायः उपेक्षित रही और उनकी शिक्षा के लिए कोई विशेष प्रबन्ध नहीं किया गया। कम आयु की बालिकाएँ मकतबों में प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करती थी। निर्धन तथा निम्न वर्ग की स्त्रियाँ सामान्य या प्राथमिक शिक्षा से वंचित थीं। अकबर अत्यधिक उदारवादी शासक था। जिसने इस्लाम में स्त्री पुरुष दोनों को समान महत्त्व दिया। सल्तनत काल में **इल्तुतमिश** ने अपनी पुत्री रजिया की शिक्षा का उत्तम प्रबन्ध किया और उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया वह स्त्री शिक्षा का हिमायती था। मस्लिम काल में ऐसी कई मुस्लिम शासिकाएँ भी हुई हैं जिन्होंने अपनी योग्यता युद्धभूमि में भी दिखाई। इस सन्दर्भ में अहमदनगर की **चाँदबीबी** के प्रयास उल्लेखनीय हैं जिन्होंने अकबर की सेना से अपने साम्राज्य की रक्षा की। बाबर की पुत्री **गुलबदन बानो बेगम** विदुषी थी और '**हुमायूँनामा**' की लेखिका थी।

इस प्रकार मुस्लिम काल में पर्दा प्रथा चरम पर थी जिससे जन–सामान्य में स्त्री शिक्षा का प्रचार–प्रसार नहीं हो पाया और स्त्रियों की सामाजिक स्थितियाँ दयनीय हो गयी। बाल–विवाह, बहुविवाह, विधवा, पुनर्विवाह निषेध, सती प्रथा इत्यादि कुप्रथाएँ चरम पर थीं। जन–सामान्य की बालिकाओं और स्त्रियों की अस्मिता की रक्षा पर भी प्रश्नचिन्ह उठने लगे और वे अपने अधिकारों से वंचित तथा उपेक्षित रह गयी।

ब्रिटिश काल में महिलाओं की स्थिति

ब्रिटिश मिशनरी भारत में अपने धर्म और शिक्षा का प्रचार–प्रसार करने हेतु लालायित रहते थे। **प्रोटेस्टेण्ट तथा कैथोलिक मिशनरियों** ने स्त्री शिक्षा हेतु प्रयास किये। 1821 ई० में **मिस कुक** भारत आयी और आते ही उन्होंने आठ बालिका विद्यालयों की स्थापना की तथा सन् 1823 तक 14 और बालिका विद्यालयों की स्थापना की। मिशनरियों के इन कार्यों से प्रभावित होकर भारतीयों ने भी इस क्षेत्र में कार्य किये, जिसमें पूना में **महात्मा बाई फूले** ने एक बालिका विद्यालय की स्थापना की, जिसमें वे और उनकी पत्नी पढ़ाते थे। 1849 ई० में कोलकाता में भी **वैश्यून** ने एक बालिका विद्यालय की स्थापना की। इसके पश्चात् **राजा राममोहन राय और ईश्वरचन्द विद्यासागर** ने कोलकाता क्षेत्र में कई बालिका विद्यालयों की स्थापना की। 1851 तक ईसाई मिशनरियों ने ही 371 बालिका विद्यालयों की स्थापना की, जिनमें 11,293 बालिकाएँ शिक्षा प्राप्त कर रही थीं। 1850 में सर्वप्रथम स्त्री शिक्षा के प्रसार हेतु सरकार ने सहायता प्रदान की। उस समय अंग्रेजों द्वारा चलाये जा रहे विद्यालयों को भारतीय समाज सुधारकों, राजा मोहन राय आदि ने खुला सहयोग दिया। **लार्ड डलहौजी** ने भी स्त्री शिक्षा का समर्थन किया तथा यह माना कि यह एक प्रमुख मुददा है जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। स्त्रियों की सामाजिक स्थिति जब तक सुदृढ़ नहीं होगी, तब तक किसी प्रकार का परिवर्तन और विकास कल्पना मात्र ही रहेगा। इस हेतु अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में जागृति लाने, उनकी दशा में सुधार करने के लिए प्रयास किये, जिसमें भारतीयों ने भी योगदान दिया। 1854 के शिक्षा सुधार के पश्चात् स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में काफी जागृति उत्पन्न हुई तथा स्त्रियों की शिक्षा पर बल दिया गया। कई संस्थाओं ने बालिका शिक्षा हेतु मुक्त हस्त से अनुदान दिया। अंग्रेज महिला समाज सुधारक **मैरी कारपेटर** ने यह अनुभव किया कि विद्यालयी शिक्षा के साथ–साथ महाविद्यालय की शिक्षा भी आवश्यक है। उनके प्रयासों से महिलाओं के लिए पहला प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थापित किया गया। इन प्रयासों के फलस्वरूप तथा सन् 1854 के शिक्षा परिपत्र के परिणामस्वरूप मद्रास में विद्यालयों की संख्या 256, मुम्बई में 65, बंगाल में 288 और उत्तर पश्चिमी प्रान्तों में 17 थी। उस परिपत्र के द्वारा सरकार ने स्त्री शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता का वचन दिया और सीधी कार्यवाही करने का भी वचन दिया। सन् 1882 तक लड़कियों के लिए 2600 प्राइमरी स्कूल, 81 सेकेण्डरी स्कूल, 15 शिक्षण संस्थाएँ और एक कॉलेज स्थापित हो चुके थे। 1882–83 में इण्डियन एजूकेशन कमीशन स्थापित हुआ। **डब्ल्यू. डब्ल्यू. हण्टर** की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन प्राथमिक शिक्षा के विकास तथा विस्तार की जानकारी के साथ–साथ उसमें सुझाव हेतु किया गया। हण्टर आयोग ने यह सुझाव दिया कि पब्लिक फण्ड का अधिकांश

भाग नारी शिक्षा में लगाना चाहिए और उसके लिए उदारतापूर्वक सहायता अनुदान (ळतंदज ंदक ।पके) देना चाहिए। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आयोग ने सुझाव दिया कि सरकार प्राइवेट कन्या स्कूलों को स्वतन्त्र अनुदान, महिला शिक्षिकाओं को अनुदान, कन्या प्राथमिक विद्यालयों में सरल पाठ्यक्रम लागू करे। महिलाओं हेतु विद्यालय की स्थापना की जाये तथा बालिकाओं की शिक्षा हेतु पृथक निरीक्षणालयों की स्थापना की जानी चाहिए। परिणामतः 1902 के अन्त तक 12 महिला कॉलेज, 468 सैकेण्डरी विद्यालय, 5650 प्राथमिक विद्यालय तथा 45 प्रशिक्षण संस्थाएँ स्त्रियों के लिए स्थापित की जा चुकी थी। सन् 1901–02 में 76 नारियाँ मेडिकल कॉलेजों में थीं, 166 मैकेनिकल स्कूलों में थी। सन् 1902 से 1921 तक के काल में शिक्षा के प्रति काफ़ी जागरूकता उत्पन्न हो चुकी थी। 1904 में **श्रीमती ऐनी बेसेण्ट** ने बनारस में '**सेण्ट्रल हिन्दू बालिका विद्यालय**' की स्थापना की। 1916 में दिल्ली में '**लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज**' की स्थापना की गयी जो भारत का प्रथम महिला मेडिकल कॉलेज है। इसी वर्ष मुम्बई में महिला महाविद्यालय की भी स्थापना की गई। 1917 में **श्रीमती ऐनी बेसेण्ट** की अध्यक्षता में भारतीय महिला संगठन (प्दकपंद ॅवउमद ेवबपंजपवदद्ध की स्थापना की गयी, जिसका मुख्य उद्देश्य नारी शिक्षा को प्रसारित करना था। इस काल में 19 महाविद्यालय, 675 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा 21,956 प्राथमिक विद्यालय थे। **महात्मा गाँधी** ने स्त्री शिक्षा और स्वतन्त्रता आन्दोलन में भी स्त्रियों की भूमिका पर बल दिया तथा स्त्रियों को पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए आवाज उठायी, जिसका प्रभाव स्त्रियों की दशा पर पड़ा। 1936 में इन्होंने, '**अखिल भारतीय स्त्री संघ**' की स्थापना की तथा इसके माध्यम से अपनी माँगों को बुलन्द करना प्रारम्भ कर दिया। राजनैतिक जागरण के कारण भी स्त्रियों की सामाजिक दशा में सुधार आया।

स्वतन्त्रता के पश्चात् महिलाओं की स्थिति

भारतीय शिक्षा में सुधार हेतु सर्वप्रथम स्वतन्त्र भारत में 1948–49 में राधाकृष्णन आयोग, जो उच्च शिक्षा पर सुझावों के लिए केन्द्रित था, इसलिए इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है का गठन किया गया। आयोग ने स्त्री शिक्षा को गम्भीरता से लेते हुए इस विषय में निम्न सुझाव दिये–

- स्त्रियों और पुरुषों की शिक्षा एक समान न हो, अपितु स्त्रियों की अभिरुचि के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए।
- महिला तथा पुरुष अध्यापकों को समान वेतन।
- बालिकाओं हेतु शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।
- कॉलेज स्तर पर सह–शिक्षा को प्रोत्साहन।
- स्त्रियों की शिक्षा में वृद्धि करने हेतु उनको शिक्षा के अधिक–से–अधिक अवसर प्रदान किये जाने चाहिए।

अब भारतीय महिलाएं अपने करियर को सक्षम बनाने के लिए किसी भी प्रकार की शिक्षा और पेशेवर प्रशिक्षण चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। वे भारतीय संविधान द्वारा प्रदान की गई सभी नियुक्तियों के लिए समान अवसर के आधार पर राज्य के सर्वोच्च पद की आकांक्षा कर सकती हैं। भारतीय संविधान में दोनों लिंगों के लिए वयस्क मताधिकार सुनिश्चित किया गया है। संविधान का भाग–3 कुछ अधिकारों की गारंटी देता है जिनका महिलाओं पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, महिलाओं की मुक्ति के लिए कुछ निर्देश संविधान के भाग–4 में शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 (डी) में कहा गया है कि राज्य को लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए और अपनी नीति को लिंग की परवाह किए बिना समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित करना चाहिए। स्वतंत्र भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए कई कानून पारित किए गए। ये कानून पुरुषों के समान अधिकार और विशेषाधिकार देने, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने, लिंगों के बीच असमानता को दूर करने और उनके आत्म–प्राप्ति और विकास के रास्ते में आने वाली बाहरी बाधाओं को दूर करने के लिए लाए गए हैं।

निष्कर्ष

नारियों का देश की अर्थव्यवस्था में प्राचीनकाल से ही किसी–न–किसी रूप में योगदान रहा है। नारियों के आर्थिक एवं उत्पादक कार्यों का निर्धारण मानव सभ्यता के प्रारम्भिक काल से ही चला रहा है। यद्यपि नारियाँ शिकार करने नहीं जाती थीं, लेकिन उनको परिवार में ही रहकर विभिन्न कार्य जैसे अनाज साफ करना व उसे काटना, छानना, पीसना आदि प्रमुख थे। पशुपालन युग प्रारम्भ हुआ तो उसमें भी महिलाओं को अनेक घरेलू कार्य करने पड़ते थे जिनमें पशुओं की देखभाल करना, दूध से अनेक व्यंजन बनाना, पशुओं की सेवा टहल करना आदि प्रमुख थे। इसके बाद जब कृषि युग आया तब महिलाओं को जो विभिन्न घरेलू कार्य करने पड़ते थे उनमें घर में कपड़ा बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना, टोकरियाँ बनाना तथा कूटना–पीसना आदि प्रमुख थे। आज दलित, पिछड़ी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ग्रामीण महिलाओं के विकास पर जोर देने की आवश्यकता है। वे अपने घर में भोजन बनाने, कपड़े धोने, बच्चे पालने तक अपने को सीमित मानती है। काफी महिलाएं शिक्षा के द्वार पर नहीं पहुंच पाई है, उनका आर्थिक विकास छोटे–छोटे लघु उद्योगों से किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. आचार्य, श्रीराम शर्मा (2006), नारी की महानता, युग निर्माण योजना, गायत्री तपोभूमि, मथुरा
2. काबरा, रूपनारायण (2005), शिक्षा एवं सम्प्रेषण, इण्डियन पब्लिशिंग हाऊस, जयपुर
3. कोठारी, गुलाब (2006), नारी, पत्रिका प्रकाशन, जयपुर
4. गुप्ता,एस.पी. (2005), भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं, शारदा पुस्तक भवन, 11 यूनिवर्सिटी रोड़, इलाहाबाद आचार्य श्रीराम शर्मा (2006), गृहलक्ष्मी की प्रतिष्ठा, युग निर्माण योजना, गायत्री तपोभूमि मथुरा
5. कोठारी, गुलाब (2015), मानस, नारी और मातृत्व, पत्रिका प्रकाशन, जयपुर
6. निर्वाणश्री, साध्वी (2012), आदर्श नारियां (खण्ड–1) आदर्श साहित्य संघ, नई दिल्ली
7. निर्वाणश्री, साध्वी (2012), आदर्श नारियां (खण्ड–2) आदर्श साहित्य संघ, नई दिल्ली

❖◆❖